

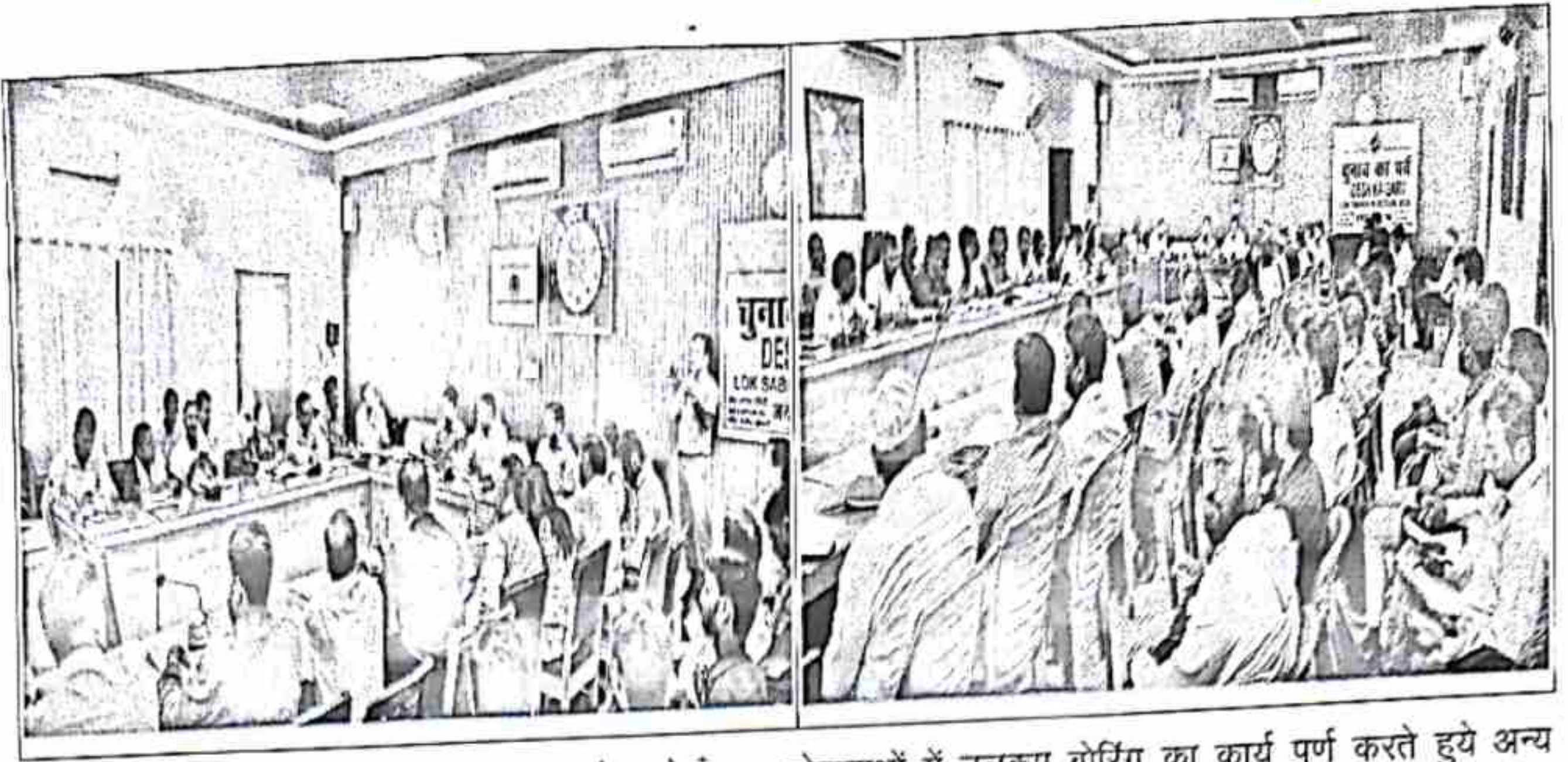
9

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति दिनांक 03.05.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 03.05.2024 को जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- | | |
|--|----------------|
| 1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 2-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 3-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। | (सदस्य) |
| 4-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 9-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर। | (सदस्य) |
| 10-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सहारनपुर। | सदस्य सचिव |
| 11-श्री अशोक शर्मा, वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०)। | फर्म प्रतिनिधि |
| 12-श्री हेमन्त यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर, बुडहिल इन्फ्रा० लि०, सहारनपुर | फर्म प्रतिनिधि |
| 13-श्री, चन्द्र शेखर, महाप्रबन्धक, मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा० सहारनपुर। | फर्म प्रतिनिधि |
| 14-श्री दीपक कुमार, जिला परियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसिएट्स | टी०पी०आई० |

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फेज-2 हेतु मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को चयनित किया गया है तथा फेज-3 हेतु फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) व फर्म मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कुल 1105 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को 184 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) को 534 नग राजस्व ग्राम व फर्म मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को 387 राजस्व ग्राम आवंटित है। वर्तमान तक 1105 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 706 नग डी०पी०आर० विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति/स्वीकृति उपरांत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 706 नग डी०पी०आर० की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC)से स्वीकृत की जा चुकी है। 706 नग योजनाओं के सापेक्ष 703 नग (1102 राजस्व ग्राम) योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये 703 नग (1102 राजस्व ग्राम) कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 03 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने के फलस्वरूप लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 03 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।



703 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन के सापेक्ष 640 योजनाओं में नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण करते हुये अन्य कार्य यथा गृह संयोजन, वितरण प्रणाली विछाना, पम्प हाउस बाउन्ड्रीवॉल के कार्य, अवर जलाशय एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं जिसकी प्रगति का विवरण फर्मवार निम्नानुसार है :-

1. मैसर्स बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0

फेज-2 के अन्तर्गत मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को आवंटित 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म की सबलेट एजेन्सी मैसर्स बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा 118 नग (157 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 117 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 1016 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 780 कि0मी0 पाईप लाईन विछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 115 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 115 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 115 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 22 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फर्म द्वारा 96 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 85 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 01 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य प्रगति में है। 35 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 50 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है, 35 नग पेयजल योजनाओं में सोलर के माध्यम से प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 102 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर 12 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 102 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 12 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 71255 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 61122 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर स्तर पर निरन्तर फर्म को पत्राचार किया जा रहा है परन्तु अभी भी अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 127 नग योजनाओं में से वर्तमान में 07 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही करायी जा रही है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद व कार्य विवाद निपटाने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 118 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 114 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 114 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 13 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 13 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 30 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 18 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 12 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य, 12 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति करने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 400 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

7

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की स्थिति													
क्र० सं०	फर्म का नाम	पाईप लाईन (योजनावार)		एफ०एच०टी०सी० (योजनावार)		सडक पुर्नस्थापना (योजनावार)		सोलर कार्य (योजनावार)		अवर जलाशय (योजनावार)		पेयजल आपूर्ति (योजनावार)	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	बुडहिल	15	6	15	6	13	4	33	5	18	2	56	48

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण न करने पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दिनांक 03.05.2024 तक भी पूर्ण नहीं किया गया है। जिस कारण विभाग व सरकार की छवि धूमिल हुई है एवं जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी ससमय पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः जल जीवन मिशन के कार्यों में विलम्ब के कारण फर्म पर 01% L.D. (Liquidity Damage) अध्यारोपित कराने हेतु अनुशंसित कर पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै० बुडहिल इन्फ्रा० लि०)

2. मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)

फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा Descope करने के उपरांत 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनायें मैसर्स बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को आवंटित की गयी हैं। आवंटित 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 237 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 234 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2289 कि०मी० पाईप लाईन के सापेक्ष 1673 कि०मी० पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 213 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 195 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 196 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 07 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, फर्म द्वारा 159 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 64 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 21 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 54 नग योजनाओं में डी०जी० के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है। 21 नग योजनाओं में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 137 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर तथा 94 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 94 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य तथा 106 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 138877 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 75969 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 137 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 64 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 251 नग योजनाओं में से वर्तमान में 14 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 237 नग योजनायें जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 137 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 76 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 20 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 51 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 55 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 55 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 57 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य, 76 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य, 76 नग योजनाओं में गृह संयोजन दिये जाने का कार्य व 49 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति

6

करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 1500 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की स्थिति													
क्र० सं०	फर्म का नाम	पाईप लाईन (योजनावार)		एफ०एच०टी०सी० (योजनावार)		सडक पुर्नस्थापना (योजनावार)		सोलर कार्य (योजनावार)		अवर जलाशय (योजनावार)		पेयजल आपूर्ति (योजनावार)	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
2	बाबा-जी०ए०	99	14	113	22	49	21	51	10	66	21	53	28
	कुल	222	62	239	71	92	40	124	36	100	39	170	87

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण न करने पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दिनांक 03.05.2024 तक भी पूर्ण नहीं किया गया है। जिस कारण विभाग व सरकार की छवि धूमिल हुई है एवं जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी ससमय पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः जल जीवन मिशन के कार्यों में विलम्ब के कारण फर्म पर 01% L.D. (Liquidity Damage) अध्यारोपित कराने हेतु अनुशंसित कर पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०)

3. मैसर्स एन०के०जी०-प्राईमस (जे०वी०)

फेज-3 के अन्तर्गत मैसर्स एन०के०जी० प्राईमस (जे०वी०) को आवंटित 328 नगयोजनाओं के सापेक्ष 325 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 289 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 289 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2672 कि०मी० पाईप लाईन के सापेक्ष 1767 कि०मी० पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 235 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 244 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 242 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 07 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। फर्म द्वारा 132 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 92 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 33 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 64 नग योजनाओं में डी०जी० के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है 33 नग पेयजल योजनाओं में सोलर के माध्यम प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 156 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य 128 नग योजनाओं में गृह संयोजन पूर्ण कर तथा 97 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य 120 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 161875 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 137840 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 156 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 128 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 98 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। पाईप लाईन, गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 328 नग योजनाओं में से वर्तमान में 38 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद व कार्य विवाद निपटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 02 नग योजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 70 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 41 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 32 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 21 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 107 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य, 110 नग योजनाओं में गृह संयोजन दिये जाने का कार्य व 20 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 20 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य

दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण, 15 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर समयान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 1500 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की स्थिति													
क्र० सं०	फर्म का नाम	पाईप लाईन (योजनावार)		एफ०एच०टी०सी० (योजनावार)		सडक पुर्नस्थापना (योजनावार)		सोलर कार्य (योजनावार)		अवर जलाशय (योजनावार)		पेयजल आपूर्ति (योजनावार)	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
2	एन०के०जी०	108	42	111	43	30	15	40	21	16	16	61	11

दिनांक 26.02.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में दिये गये लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण न करने पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दिनांक 03.05.2024 तक भी पूर्ण नहीं किया गया है। जिस कारण विभाग व सरकार की छवि धूमिल हुई है एवं जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी ससमय पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः जल जीवन मिशन के कार्यों में विलम्ब के कारण फर्म पर 01% L.D. (Liquidity Damage) अध्यारोपित कराने हेतु अनुशंसित कर पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एन०के०जी०-प्राइमस जे०वी०।)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सभी समस्त उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता जल निगम एवं जनपद में कार्यरत समस्त फर्मों का **Whatsapp** पर ग्रुप बनाकर ग्रुप के माध्यम से कार्य प्रगति की सूचना से उपरोक्त सभी को नियमित रूप से अवगत कराया जाये। जिससे जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों की प्रगति की निरन्तर व प्रभावी निगरानी की जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत फर्मों द्वारा निर्माण कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के कारण सम्बन्धित फर्म पर अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य प्रमुख सचिव महोदय द्वारा प्रेषित पत्र सं०- 18/2024/1229/76-1-2024/25सम/2019/1337024 दिनांक 01.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) जोकि समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को सम्बोधित है, के अनुसार ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण किये जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एन०के०जी०-प्राइमस जे०वी०/ मै० बुडहिल इन्फ्रा० लि०/ मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०।)

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

क्र० सं०	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	

4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिकासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिचाई विभाग, सहारनपुर	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	
9	अधिकासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर	
10	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर	

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न किये जाने एवं निर्धारित लक्ष्य हेतु पर्याप्त मैनपावर भी न लगाने से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था शासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। अतः शासन के संज्ञान हेतु जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पत्रालेख प्रस्तुत करें।

अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
सहारनपुर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5-मुख्य अभियन्ता (मे०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
- 8-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 9-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
- 10-प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 11-अधिकासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिचाई विभाग, सहारनपुर।
- 12-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
- 13-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
- 14-जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।
- 15-अधिकासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर।
- 16-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 17-समस्त उपजिलाधिकारी।
- 18-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 19-टी०पी०आई०/डी०पी०एम०यू० सहारनपुर।
- 20-मै० बुडहिल इन्फ्रा० लि०/मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०/मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०।

अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर।